अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा

(अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित संस्थाओं के ध्यानार्थ)

"अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी को वित्तीय सहायता" स्कीम के अन्तर्गत इन वर्गो के सामाजिक व शैक्षणिक उदेद्श्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले नये सामुदायिक भवन के निमार्ण, अधूरे भवन को पूर्ण करने, मुरम्मत करवाने हेतु 2.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त इन भवनों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर व अन्य शैक्षिक उपकरण खरीदने तथा पुस्तकालय में पढ़ने की पुस्तकें और शिक्षा संबंधी सामान खरीदने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राशि देने हेतु भवन पूर्ण करने/मरम्मत/नव निर्माण के कम में प्राथमिकता दी जाएगी।

<u>वित्तीय सहायता लेने हेतु आवेदन पत्र देने का तरीका</u>

1. अनुसूचित जाति एंव पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थान/सोसायटी, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये संस्था के पंजीकरण की एंव संविधान की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये।

2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मे में होना चाहिये ।

3 संस्थान/सोसायटी के पास कम से कम 100 वर्ग गज का अपना प्लाट होना चाहिये या सरकार/पंचायत/स्थानीय निकाय/अन्य व्यक्ति द्वारा अलाट/डोनेट किया होना चाहिये जिसकी सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये।

4 प्लाट की रजिस्ट्री सम्बन्धित संस्था के नाम होनी चाहिये तथा प्रस्तावित भवन का नक्शा व कार्य की अनुमानित लागत आवेदन पत्र के साथ सलंग्न की जाये ।

5. यह अनुदान हरियाणा राज्य में कार्य करने के लिये ही दिया जाएगा ।

6. इस स्कीम के तहत यदि किसी संस्थान/सोसायटी द्वारा पहले अनुदान प्राप्त किया गया हो तो वह संस्था/सोसायटी पांच वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकती है बशर्ते की उस द्वारा प्राप्त राशि का सदुपयोग कर लिया गया हो ।

7. संस्था/समिति का वार्षिक लेखा जोखा एंव बैलेंस शीट

8. संस्था के प्रधान का नाम व जाति

इच्छुक संस्थान/सोसायटी अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2018 तक सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को भेजें। फार्म विभाग की वैबसाईट www.haryanascbc.gov.in से download करें। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं0	जिला कल्याण अधिकारी	दूरभाष नं0
अम्बाला	0171-2536450	हिसार	01662-283360
पंचकूला	0172-2583378	रिवाड़ी	01274-260758
करनाल	0184-2266093	मेवात एट् नूँह	01267-274679
यमुनानगर	01732-237859	गुरुग्राम	0124-2305415
सोनीपत	0130-2220732	पलवल	01275-248056
कुरुक्षेत्र	01744-220459	फरीदाबाद	0129-2285175
पानीपत	0180-2658065	कैथल	01746-234637
झज्जर	01251-254779	फतेहाबाद	01667-230169
रोहतक	01262-269842	नारनौल	01282-250271
भिवानी	01664-242629	जीन्द	01681-245132
सिरसा	01666-248891	चरखीदादरी	01664-242629

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, एस0सी0ओ0
नं0 42–44 सैक्टर 17– ए, चण्डीगढ।
Email. dbcharyana@gmail.com
0172-2716248